

उत्तर प्रदेश शासन  
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-6  
संख्या-568बी/क0नि0-6-2017-01 बी/2017  
लखनऊ: दिनांक-04 जुलाई, 2017

कार्यालय ज्ञाप

शासनादेश दिनांक 24 जून, 2017 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार प्रदेश के लघु एवं सीमान्त किसानों के फसली ऋण मोचन योजना के क्रियान्वयन के संबंध में कृषि विभाग को नोडल विभाग नामित किया गया है।

अतः सम्यक् विचारोपरान्त इस योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु सचिव, संस्थागत वित्त एवं महानिदेशक, संस्थागत वित्त को अपने आवंटित कार्यों के साथ-साथ सहयोग एवं संयोजन हेतु तीन माह के लिए प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन के साथ सम्बद्ध किया जाता है।


अनूप चन्द्र पाण्डेय  
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-568(1)बी/क0नि0-6-2017-01 बी/2017तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव, संस्थागत वित्त, उ0प्र0 शासन को अनुपालनार्थ।
2. महानिदेशक, संस्थागत वित्त, बीमा एवं वाह्य सहायतित परियोजना महानिदेशालय को अनुपालनार्थ।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय के अवगतार्थ।
4. अपर मुख्य सचिव, वित्त, विभाग उ0प्र0 शासन।
5. निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
6. प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. निजी सचिव, विशेष सचिव, वित्त (श्री अमृत त्रिपाठी/श्री नील रतन कुमार)।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

  
(अमृत त्रिपाठी)  
विशेष सचिव।